



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद

दिनांक: 07/12/2025

संख्या: 26VSNOC03041659 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2025-26

M/S D S M DEVELOPERS PVT LTD

A-121 SEC-136 NOIDA G B NAGAR UP

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS25468187 दिनांक 05/12/2025

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05/12/2025 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेडेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Transformer	ABC TRANSFORMERS (P)LTD	500 KVA	11000 V	ABC/500/25/5964	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 0 किलोवाट।

टिप्पणी :

during the energization ,operational and maintenance, the owner of the installation or the authorised staff shall ensure that the said electrical installation remains safe and harmless under all circumstances The owner of the premises or the authorized staff will be solely responsible for ensuring compliance.and they will also ensure that all the electrical safety standards of the said regulation will be complied with inside their premises in future

भवदीय,

RAM SUDHAR

उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उपप्रो शासन,
गाजियाबाद

संख्या: 26VSNOC03041659वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2025-26,दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, गौतम बुद्ध नगर।

सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उपप्रो शासन गौतमबुद्धनगर जोन।

संयुक्त निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उपप्रो शासन, लखनऊ।

निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उपप्रो शासन, लखनऊ।

भवदीय,

RAM SUDHAR

उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उपप्रो शासन,
गाजियाबाद



www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व आप अपने अधिष्ठापन के नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट <https://www.vidyutsuraksha.org/> पर आवेदन करें। यदि आप द्वारा समय से नियतकालिक निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो विद्युत अधिनियम २००३ की धारा -146 के अंतर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.